संख्या-43 /2026/।/ 1268199 /2026/71-1002/17/2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर एवं आजमगढ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/613, दिनांक 27.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के पूजीपक्ष के लेखाशीर्षक 4210-03-105-28-नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर तथा आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु स्वीकृत लागत रू0 2082.06 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि क्रमशः रू0 1041.03 लाख एवं रू0 1041.06 लाख इस प्रकार कुल रू0 2082.09 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-118/2023/1/373173/2023-71-1002/17/ 2022, दिनांक 22.08.2023 द्वारा 06 राजकीय मेडिकल कालेजों, यथा-आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, जालौन, बाँदा, बदायूँ व सहारनपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानकीकृत एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित मानकीकृत लागत रू0 2082.06 लाख जीएसटी सहित (प्रत्येक हेतु) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजकीय मेडिकल कालेज अम्बेडकर नगर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-118/2023/1/373173/2023-71-1002/17/2022, दिनांक 22.08.2023 द्वारा रू0 375.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-56/2025/1/910375/2025/71-1002/17/2022, दिनांक 20.03.2025 द्वारा 666.03 लाख, इस प्रकार अब तक कुल रू0 1041.03 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। परियोजना हेतु इस रू0 1041.03 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-118/2023/।/373173/2023-71-1002/17/2022, दिनांक 22.08.2023 द्वारा रू0 375.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-08/2024/1/689185/2024/71-1002/17/2022, दिनांक 12.07.2024 द्वारा रू0 853.50 लाख (रू0 187.50 लाख अनहरित धनराशि), इस प्रकार कुल रू0 1041.00 लाख

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। परियोजना हेतु रू0 1041.06 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर तथा आजमगढ़ में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-28-नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से **राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर हेतु अवशेष धनराशि रू0 1041.03 लाख** तथा **राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ हेतु अवशेष धनराशि रू0 1041.06 लाख, इस प्रकार कुल रू0 2082.09 लाख (रू0 बीस करोड़ बयासी लाख नौ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/ मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/ बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-118/2023/1/373173/2023-71-1002/17/2022, दिनांक 22.08.2023 में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,82,09,000 (रुपये बीस करोड़ बयासी लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031052800 नर्सिंग कालेजों की स्थापना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर/आजमगढ़।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर/आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर/आजमगढ़।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।